

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/बीपीसी/2003/डी- 257

दिनांक : 31/7/2003

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की 52वीं बैठक

दिनांक 18.7.2003 को मध्याह्न 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण 'परिशिष्ट-1' पर है।

ए. स.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स. का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	सैक्टर	जोन	निर्णय
1	निजी खातेदार श्रीमति सरोज देवी पुत्री घीसालाल जैन ग्राम बोयतावाला तहसील सांगानेर के ख0नं0 82 से 1485 व0ग0 भूमि का भू-उपयोग रीजनल पार्क से आवासीय किये जाने हेतु।	श्रीमति सरोज देवी पुत्री घीसालाल		बोयतावाला	82	-	6	प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात् निम्न नीतिगत निर्णय लिए गये:- 1. निजी खातेदारी भूमि के निजी प्रकरणों में भवन विनियम 2000 के अनुसार सैटबैक्स एरिया रखते हुए भूखण्ड/भूमि के कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र पर निर्माण अनुज्ञेय किया जावेगा। 2. सैक्टर/मास्टर प्लान की सड़को के प्रस्तावित मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी को निःशुल्क जविप्रा को समर्पित करनी होगी। अतः इस प्रकरण हेतु भी यही निर्णय लिया गया।
2	सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. के संबंध में।	सुभाष सिन्धी	पुरुषार्थ नगर (बी)	जगतपुरा	344,345	-	9	योजना में मौके की स्थिति के अनुसार आवासीय भू-उपयोग 76.12 प्रतिशत है। भवन मानचित्र समिति अधिकतम 70 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम है इससे अधिक आवासीय क्षेत्रफल के स्वीकृति के संबंध में निर्णय करने में राज्य सरकार ही सक्षम है इसलिए योजना निर्णय हेतु राज्य सरकार में भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
3	सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. के संबंध में।	सुभाष सिन्धी	पुरुषार्थ नगर (सी)	जगतपुरा	196 से 204, 553,	-	9	योजना में मौके की स्थिति के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक उपयोग 73.85 प्रतिशत है। भवन मानचित्र समिति अधिकतम 70 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल



					554, 556 से 563			के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम है इससे अधिक आवासीय क्षेत्रफल के स्वीकृति के संबंध में निर्णय करने में राज्य सरकार ही निर्णय लेने में सक्षम है इसलिए योजना निर्णय हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
4	पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना दुर्गा विहार स्कीम नं0 13 दुर्गापुरा में भूखण्ड संख्या 1,24 से 29 के 0 उत्तर में स्वीकृत 80-0'' रोड सैक्टर प्लान के अनुसार 60-0'' किये जाने के संबंध में।	पथिक भवन गृ.नि.स.स.	दुर्गा विहार स्कीम नं0 13	दुर्गापुरा		-	4	दुर्गापुरा क्रॉसिंग तक सैक्टर प्लान में 100' फिट चौड़ी सड़क इन्कम टैक्स कॉलोनी से सीधी सैक्टर प्लान में प्रस्तावित है किन्तु गौ सेवा संघ की भूमि के कारण यह सड़क अवरूद्ध है इसलिए इस सड़क का लिंक तब तक टॉक रोड से नहीं हो जाता जब तक इस सड़क पर यातायात अधिक रहेगा इसलिए इस सड़क की चौड़ाई कम किया जाना उचित नहीं है। अतः इस सड़क की चौड़ाई 80' फिट ही रखे जाने तथा गौ सेवा संघ से सड़क हेतु भूमि अवाप्ति के संबंध में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के भू0स0 80 से 84 में संशोधन बाबत।	लक्ष्मी गृ.नि.स.स.	लक्ष्मी नगर			-	4	समिति ने विचार -विमर्श कर निर्णय लिया कि संबंधित भूखण्डधारियों की अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) द्वारा सुनवायी की जावे तथा मान्य प्रस्ताव तैयार कर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
6	शिव शंकर गृ.नि.स.स. के संबंध में।	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	हरिओम नगर	टीलावाला	186, 222, 224, 225, 293, 295, 360, 361, 226/637	-	9	योजना में से एक और 100' फिट चौड़ी सड़क गुजर रही है इसलिए इस योजना में 100' फिट चौड़ी सड़क व अन्य सैक्टर रोड दर्शाते हुए सहकारी समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिए जाने का निर्णय लिया गया।
7	पृथ्वीराज नगर योजना में दुकानों के क्षेत्र को परिवर्तित करने एवं					-	5	समिति ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि आवेदक यदि सड़क क्षेत्र को छोड़ते हुए आवासीय उपयोग में लेना चाहता है तो उसे अनुमति दे दी जावे।



	भूखण्ड सृजित करने बाबत।							
8	निजी खातेदार श्री मोहन पुरोहित के पदमावती कॉलोनी प्रथम बृजलालपुरा के उपविभाजन बाबत।		पदमावती कॉलोनी प्रथम			-	5	समिति ने विचार -विमर्श कर निर्णय लिया कि समिति के सदस्यो द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
9	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स.स. जयपुर।	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर (जवाहर सर्किल)	सवाई गैटोर सुरजपुरा घाटी	334/941, 16	-	4	समिति ने विचार -विमर्श कर निर्णय लिया कि सहकारी समिति के सदस्यो को सुनकर तदानुसार पत्रावली में उन सदस्यो की सहमति के संबंध में इन्द्राज कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।
10	सहारा इंडिया कॉमर्शियल लि0 की राजस्व ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर के ख0नं0 1087 से 1095, 1097 एवं 1098, 1106 से 1122 एवं 1116/2170 कुल किता 29 में से रकबा 5.74 हैक्टेयर एवं राजस्व ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर के ख0नं0 178, 182, 189, 192, 190, 191, 192/628 कुल किता 7 में से रकबा 3.20	सहारा इंडिया कॉमर्शियल लि0		बीलवा एवं मानपुर उर्फ नागल्या	1087 से 1095, 1097 एवं 1098, 1106 से 1122 एवं 1116/2170 तथा 178, 182, 189, 192, 190, 191, 192/628	-	11	प्रकरण में विचार विमर्श कर आवेदित भूमि अरबेनाइजेबल एरिया लिमिट के बाहर स्थित होने एवं अभी वहाँ का रोड सेक्टर प्लॉन नही होने के कारण प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण प्रकरण फिलहाल स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।



	हैक्टेयर इस प्रकार दोनो ग्रामों की कुल 8.93 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने हेतु।						
11	ग्राम मानपुर उर्फ नागल्या तहसील सांगानेर के ख0नं0 174, 175, 179, 192, 191/627 किता रकबा 6.74 हैक्टेयर भूमि में से टोक सड़क के प्रस्तावित मार्गाधिकार क्षेत्र एवं प्लानटेशन कोरीडोर हेतु आवश्यक भूमि काटने के पश्चात् शेष भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने हेतु।	निजी खातेदार		मानपुर उर्फ नागल्या		11	प्रकरण में विचार विमर्श कर आवेदित भूमि अरबेनाइजेबल एरिया लिमिट के बाहर स्थित होने के कारण एवं अभी वहाँ का रोड सेक्टर प्लॉन नही होने के कारण प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
12	रोड सेक्टर प्लान 34, 35 को स्वीकृत करने के संबंध में।					34, 35	समिति के सदस्यो द्वारा विचार -विमर्श कर रोड सेक्टर प्लान 34 एवं 35 के मौका मुआयने का निर्णय लिया गया। जोन द्वारा करवाये गये सर्वे की पुष्टि जोनल अभियन्ता द्वारा की जावे।
13	रोड सैक्टर प्लॉन 36, 37 को स्वीकृत करने के संबंध में।					36, 37	समिति के सदस्यो द्वारा विचार -विमर्श कर मौका मुआयना करने का निर्णय लिया गया 1. 80' फिट व अधिक चौड़ी सड़को में दोनों साइडों में सड़क की चौड़ाई

								<p>से आधी भू-पट्टी कॉमर्शियल उपयोग हेतु निर्धारित की जावे। सैक्टर 30 की पूर्वी सीमा पर 160' फिट चौड़ी (एच0टी0 लाईन) सैक्टर रोड़ में 80' फिट चौड़ी कॉमर्शियल भू-पट्टी तथा रेल्वे लाईन के समानान्तर रेल्वे लाईन के दक्षिण की ओर 100 फिट चौड़ी सड़क पर 50' फिट चौड़ी भू-पट्टी कॉमर्शियल प्रयोजन हेतु दर्शायी जावे। पूर्व में भी जारी N.O.C. प्रकरणों में इस निर्णयानुसार मानचित्र अनुमोदन के समय व्यावसायिक भू-पट्टी ली जाने के पूर्ण प्रयास किये जावें।</p> <p>2. जोन द्वारा करवाये गये सर्वे की पुष्टि जोनल अभियन्ता द्वारा करवायी जाय</p>
14	बस्सी सीतारामपुरा गृ.नि.स. स. के संबंध में।	बस्सी सीतारामपुरा	आर्य विहार	दुर्गापुरा	91/310	-	4	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति के सदस्यों द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
15	निजी खातेदार की योजना	निजी खातेदार रामस्वरूप व अन्य	पिंकसिटी एनक्लेव	श्रीकिशनपुरा	536 से 572 तक	-	9	विचार विमर्श पश्चात् योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
16	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स.स. की योजना सरदार कॉलोनी के संबंध में।	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स. स.	सरदार कॉलोनी	खोनागोरियान	512	-	9	<p>समिति ने विचार -विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मास्टर विकास योजना 2011 में गोनेर सड़क की चौड़ाई 200' फिट प्रस्तावित है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 100' फिट के मध्य में आने वाली दुकाने व आवासीय भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।</li> <li>2. हाईटेन्शन लाईन के नीचे के भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।</li> <li>3. भू0स0 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 के आवेदको द्वारा प्रस्तुत साइट प्लान मौका रिपोर्ट के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जावे।</li> </ol>
17	पथिक भवन गृ.नि.स.स. के संबंध में।	पथिक भवन गृ.नि.स.स.	सूर्य नगर	गोपालपुरा व देवरी	223 से 233 226, 253 से		5	<p>योजना को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सूर्य नगर के विवादित व ओवरलेप भाग को अस्वीकृत किया जावे। ओवरलेप भूखण्डनिम्नानुसार है:-</li> </ol>

				260, 263 से 271, 273से 278, 280/429, 281/431, 283/393, 283/394, 283/396, 283 से 285		<p>501 से 506, 526 से 531, 472, 473, 475, 564 से 470, 558ए से 563, 532 से 538, 480, 542, 489, 484, 482, 481, 471 दयाल नगर, बैंक कॉलोनी, कृष्णा नगर के ओवरलेपिंग भूखण्ड।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. भू0सं0 640 व 287 के मध्य जहाँ महेश नगर व सूर्य नगर की सीमा बाउन्ड्री मिलती है, 60' फिट फीट चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं होती है इसलिए सड़क की चौड़ाई 60' फिट की जावे।</li> <li>3. जिन भूखण्डों में सैटबैंक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है उन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।</li> <li>4. हाईटेन्शन लाईन के नीचे के भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।</li> <li>5. भू0सं0 219 सी व 210 बी के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30' फिट की जावे।</li> <li>6. सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र में भू0सं0 407, भू0सं0 209 के उत्तर का भूखण्ड ( भूखण्ड सं0 अंकित नहीं है), 487ए, 488ए, 474ए, 476ए, 332ए, 491सी, 491बी, 491ए, ए492ए को सुविधा क्षेत्र/पार्क में दर्शाये थे इसलिए इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।</li> <li>7. भू0सं0 88 में कुँआ व मन्दिर बना हुआ है इसलिए इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।</li> <li>8. गोपालपुरा बाईपास की चौड़ाई 160' फिट निर्धारित है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 80' फिट की दूरी में आने वाले भूखण्डों की गहराई कम की जावे।</li> <li>9. क्रय की गयी भूमि से अधिक भूमि के संबंध में नियमानुसार शुल्क लिया जावे।</li> <li>10. सुविधा क्षेत्र में दर्शायी गयी दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।</li> <li>11. योजना में सरकारी भूमि है इसलिए योजना की स्वीकृति हेतु राज्य</li> </ol>
--	--	--	--	--	--	--



								सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
18	हथरोईगढ़ी गृ.नि.स.स. के संबंध में।	हथरोईगढ़ी गृ. नि.स.स.	बालविहार कॉलोनी गोनेर रोड	खोनागोरियान	599/2900, 599/2001 616, 615	-	10	समिति ने विचार -विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया:- 1. मास्टर विकास योजना 2011 में गोनेर सड़क की चौड़ाई 200' फिट निर्धारित है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 100' फिट के मध्य में आने वाली दुकाने व आवासीय भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे। 2. भू0स0 28 व 34 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 40' फिट की जावे। अन्य सड़को की चौड़ाई कम से कम 30' फिट की जावे तथा सड़क हेतु भूमि दोनो साइडो से बराबर ली जावे। 3. योजना में भू0स0 31 में सैटबैक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे। 4. जिन भूखण्डों में एक ही चारदीवारी बनी है उन भूखण्डों का नियमन भूखण्डधारी द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान व मौके की रिपोर्ट के अनुसार किया जावे।
19	हथरोईगढ़ी गृ.नि.स.स. के संबंध में।	हथरोईगढ़ी गृ. नि.स.स.	जगदीशपुरी	खोनागोरियान	गत् 1117 हाल 1339			समिति के सदस्यो द्वारा विचार -विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:- 1. इकोलोजिकल से आवासीय उपयोग में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे। 2. अधिक भूमि की राशि नियमानुसार ली जावे। 3. 200' फिट चौड़ी सड़क में आने वाली दोनो साइडो की दुकाने व आवासीय भूखण्ड निरस्त किए जाए। 3. जिन भूखण्डो में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन भूखण्डो को अस्वीकृत किया जावे। 4. खसरा बाउन्डी के बाहर के भूखण्ड अस्वीकृत किये जावे। 5. योजना के अन्दर की 30' फिट से कम चौड़ी सड़को की चौड़ाई 30' फिट की जावे।

20	हीरा गृ.नि.स.स. के संबंध में।	हीरा गृ.नि.स. स.	रूप विहार कॉलोनी	स्वेजफार्म	17, 16, 15/156, 15.15, 15/156, 16, 17 16, 17 15/156	-	5	समिति ने विचार-विमर्श कर निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:- 1. योजना में प्रस्तावित, निम्न के अलावा सभी भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे। 2. जिन भूखण्डों में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे। 3. जिन भूखण्डों में से सैक्टर रोड गुजरती है उन्हें अस्वीकृत किया जावे। 4. भू0सं0 78 के सामने की 40' फिट चौड़ी सड़क सुविधा क्षेत्र के कारण बंद हो जाती है इसलिए इसे थु किया जावे। 5. यह भूमि सैक्टर पार्ट पी की अवाप्ति में है इसलिए राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
21	निजी खातेदार की योजना	श्रीमति कृष्णा राठौड़ व अन्य	अनुकम्पा विहार	देहलावास	341, 342, 344 से 353		9	विचार -विमर्श में समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
22	लक्ष्मी नारायण पुत्र भूरा कुमावत	लक्ष्मी नारायण पुत्र भूरा कुमावत	स्वयं के लिए	सोंगानेर	595	-	8	समिति के सदस्यों ने इस प्रकरण के साथ-साथ अन्य प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श पश्चात् 500 वर्ग0 से 1500 वर्ग0 तक के भूखण्डों के नियमन के संबंध में निम्न नीतिगत निर्णय लिया गया:- 1. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार मास्टर प्लान /सैक्टर प्लान /सड़को की चौड़ाई में आने वाली भूमि भूखण्डधारी से निःशुल्क ली जावे यदि आस-पास की योजना से लिंक करनी हो तो सड़क की चौड़ाई की भूमि भी निःशुल्क ली जावे। 2. जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) के विनियमों के अनुसार सैटबैक निर्धारित किये जावे तथा नगरीय सीमा के अन्दर सैटबैक सीमा के अन्दर कुल भूमि का 25 प्रतिशत तथा नगरीय सीमा के बाहर 5 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल दिया जावे।

*38*

23	मुहाना गृह नि.स.स. की सचिवालय नगर योजना के अनुमोदित भूखण्डों में निर्मित क्षेत्रफल कम मिलने से सेटबेक में शिथिलता दिये जाने बाबत।	मुहाना गृ.नि. स.स.	सचिवालय नगर				11	समिति द्वारा प्रकरण पर वाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि सचिवालय नगर योजना के अनुमोदित मानचित्र में भू. सं. 512,518, 519, 525, 526, 532, 533, 539 एवं 207 में सडक की ओर 15 फिट का सेटबेक दिये जाने से इन भूखण्डों में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल कम मिल रहा है अतः इन भूखण्डों में 60 फिट सडक की ओर 15 फिट सेटबेक के स्थान पर 10 फिट का सेटबेक कर दिया जावे ताकि इन भूखण्डों को न्यूनतम निर्मित क्षेत्र मिल सकें।
24	मित्र गृह नि.स.स. की लक्ष्मी नगर योजना में दुकानों को अस्वीकृत करने बाबत।	मित्र गृह नि. स.स.	लक्ष्मी नगर योजना	कानोता	597	-	11	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श पश्चात् योजना मानचित्र में कानोता रेल्वे स्टेशन वाली 100 फिट मुख्य सडक पर दर्शायी गई दुकान संख्या 1 से 22 को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
25	भूखण्ड सं० 9,10,13 बाबत	आनन्द भवन	गंगा कॉलोनी				7	बीपीसी (एल.पी.) के सदस्यों द्वारा मौका मुआयना किया गया। आगामी बैठक में मौका रिपोर्ट के साथ प्रकरण को पुनः रखने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा नोट

26	पथिक भवन गृ.नि.स.स. के संबंध में।	पथिक भवन गृ.नि.स.स.	यूनिट नं० 13(1 बी)			-	5	यह योजना आसपास की कॉलोनी से करीब 10-15 फीट तक नीचे है तथा बाढ़ से प्रभावित है इसलिए योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
27	श्री गणपति गृ.नि.स.स. के संबंध में।	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	ताड़केश्वर			-		यह सम्पूर्ण योजना व्यावसायिक है तथा सहकारी समिति द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए योजना को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
28	हथरोईगड़ी गृ.नि.स.स. के संबंध में।	हथरोईगड़ी गृ.नि.स.स.	संजय कॉलोनी			-	5	यह योजना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है इसलिए इस योजना को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
29	तोपखाना देश गृ.नि.स. स. की जेम्स कॉलोनी अनुमोदन बाबत।	तोपखाना देश	जेम्स कॉलोनी				2	उपायुक्त जोन-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा, मौके की रिपोर्ट एवं जोनल लेवल कमेटी में लिए गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में विचार-विमर्श कर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया गया- 1. योजना विद्याधर नगर के सैक्टर-3 के कुछ भाग पर बसी हुई है। विद्याधर योजना के उक्त क्षेत्र में भू उपयोग ग्रुप हाउसिंग, ग्रीन स्कूल व व्यावसायिक दर्शा रखा है। चूंकि प्रश्नगत आवासीय योजना में 15-20 वर्षों से मकान


							<p>बना कर लोग रह रहे है।</p> <p>2. सेक्टर-3 के जिस भाग में प्रश्नगत योजना बसी है उसका उपयोग आवासीय किया गया। विद्याधर नगर की 60 फिट चौड़ी सडक से प्रभावित होने के कारण भूखण्ड सं0 122 से 126 तथा 128 से 132 पूर्ण रूप से व भूखण्ड सं0 121 व 133 आंशिक रूप से गैर अनुमोदित किये गये।</p> <p>3. भूखण्ड सं0 97,98,102 से भूखण्ड सं0 112, 18 मीटर चौड़ी सडक से प्रभावित होने के कारण गैर अनुमोदित किये गये। भूखण्ड सं0 97, 104 से 106, 110 से 112 पर विद्याधर नगर के आवंटियों के मकान निर्मित होने के कारण मौके पर अस्तित्व में नहीं होने के कारण अनुमोदन योग्य नहीं है।</p> <p>4. समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाई गई 100, 101 एवं ए-7 के मध्य की सडक पर आने वाले 2 भूखण्ड जोकि 65 एवं सी-4 नम्बर से अंकित है। सडक क्षेत्र में आने के कारण गैर अनुमोदित किये गये।</p> <p>5. भूखण्ड सं0 74,77,87 व 84 के बीच स्थित 1114.44 व.ग. भूमि खरीदशुदा नहीं होने के कारण योजना में शामिल ना की जावे। उपायुक्त उक्त भूमि का कब्जा लेकर जविप्रा का बोर्ड लगावे।</p> <p>6. योजना की सभी आन्तरिक सडको की चौड़ाई 30 फिट की जावे।</p> <p>7. भूखण्ड सं0 133 से 148 तथा 17 से 32 खसरा नं0 186/3 पर जिस पर मा. उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसी प्रकार भूखण्ड सं0 1 से 16 व 40 खसरा नं0 199 पर जो कि एसबीडब्ल्यू 2025/95 से विवादग्रस्त है जिसमे स्थगन आदेश प्रभावी है। उपरोक्त सभी भूखण्डो का नियमन स्थगन आदेश अप्रभावी होने के बाद किया जावे।</p> <p>8. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.6.03 की अनुपालना योजना में सरकारी भूमि होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जावे।</p>
30	सेक्टर 30	में	ग्राम				समिति द्वारा सेक्टर 30 फिट में रेडियन्ट एज्युकेशन सोसायटी की भूमि में से

<p>पिरोता, श्रीकिशनपुरा में रेडियन्ट ऐज्युकेशन सोसाइटी की भूमि में से 80' चौड़ी सडक निरस्त करने बाबत।</p>						<p>प्रस्तावित 80 फिट चौड़ी सडक को निरस्त करने व इन्ही की भूमि के उत्तर पश्चिम में स्थित 100 फिट सडक के रिएलाईन्मेंट करने के प्रस्तावों पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>(11)</del> महल रोड से आती हुई 60 फिट सडक को 80 फिट किया जाकर, प्रार्थी की भूमि में से प्रस्तावित 80 फिट सडक को इस सडक की सीध में ही पूर्व दिशा की ओर बढ़ाया जावे।</li> <li>2. <del>(11)</del> उपरोक्त सडक का एलाईन्मेंट सेक्टर प्लान में परिवर्तन करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा सडक एलाईन्मेंट परिवर्तन करने से प्रभावित खातेदारों से एन ओ सी प्राप्त कर दी जावेगी।</li> <li>3. <del>(11)</del> 100 फिट सडक एलाईन्मेंट परिवर्तन के बारे में निदेशक (आयोजना) द्वारा पत्रावली पर सैन्ट्रल स्पाईन योजना जगतपुरा के परिपेक्ष्य में अलग से परीक्षण किया जाकर पत्रावली आयुक्त, जविप्रा को प्रस्तुत की जावे।</li> </ol>
---	--	--	--	--	--	--

*(Handwritten mark)*

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 52वीं बैठक दिनांक 18-7-2003 में उपस्थिति निम्न प्रकार थी:-

क्र.सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री महेश जोशी	विधायक	राजस्थान विधानसभा, जयपुर	सदस्य
3.	माननीय श्री अशोक तंवर	विधायक	राजस्थान विधानसभा, जयपुर	सदस्य
4.	माननीय श्री राजेन्द्र मावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री डी.आर. मीणा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री एस.सी. महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री ओ.पी. यादव	अति.आयुक्त, पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त, पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
9.	श्री ए.एन. भार्गव	वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य सचिव
10.	श्रीमती लवंग शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्री नीरज तिवारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्रीमती आशा अवस्थी	उप नगर नियोजक(एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्री प्रेमशंकर	उप नगर नियोजक(सीपी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्रीमती रश्मी गुप्ता	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्रीमती दुर्गा जोशी	उपायुक्त जोन-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री मुकेश शर्मा	उपायुक्त जोन-5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एन.के. खींचा	उपायुक्त, जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री एन.के. गुप्ता	उपायुक्त, जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री भीवाराम चौधरी	उपायुक्त, जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21.	श्री हीरालाल वर्मा	उप नगर नियोजक(सेवानिवृत्त) जोन-4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22.	श्री गिरीश शर्मा	सहायक नगर नियोजक, जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23.	श्री एस.सी. मीणा	जनसंपर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


  
सदस्य सचिव(बीपीसी)  
जविप्रा, जयपुर

कमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2003/डी- 257

दिनांक : 31/7/2003

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है-

क्र.सं.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव	अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2.	विधायक	माननीय श्री महेश जोशी, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3.	विधायक	माननीय श्री अशोक तंवर, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4.	सदस्य	माननीय श्री राजेन्द्र मावर, जयपुर विकास प्राधिकरण
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6.	निजी सचिव	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	निदेशक(आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
8.	वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)/(प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9.	अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10.	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11.	जनसंपर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

  
सदस्य सचिव(बीपीसी)  
जविप्रा, जयपुर।